राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
अनुभाग–3

क्रमांक एफ 4(28)आरडी / नरेगा / 2009–10 जयपुर दिनांक 15.04.2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषयः सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि हस्तान्तरण बाबत।
संदर्भः इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी किया जा रहा है। राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान का आंकलन कर आनुपातिक राशि जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों द्वारा इसकी पालना कर अग्रिम के रूप में मासिक राशि जारी नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले एक माह के भुगतान हेतु वांछित राशि अग्रिम के रूप में सम्बन्धित जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक में नियमित रूप से हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय
(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
2 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजस्थान।
3 रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस